राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप. 1(40)साप्र/ग्रुप–5/2016 जयपुर, दिनांक 27.9.2018

परिपत्र

समस्त विश्राम भवनों/राजस्थान हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली एवं राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई में कमरों के आरक्षण का कार्य ऑनलाईन बुकिंग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः दिनांक 01.10.2018 से विश्राम भवनों में कमरे ऑनलाईन के माध्यम से ही आरक्षित किये जावेंगे । आवास व्यवस्था हेतु स्वयं की SSO ID से बुकिंग की जा सकेगी ।

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव ।
4. समस्त अति0मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स ।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
7. प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ।
8. अति0आवासीय आयुक्त नवी मुम्बई ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, निगम/बोर्ड/मण्डल, राजस्थान ।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान को समाचार पत्रों में समाचार प्रसार हेतु ।
11. पंजीयक, शासन सचिवालय ।
12. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन/ राजस्थान हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ राजस्थान भवन, वाशी नवी मुम्बई को पालनार्थ प्रेषित है ।
13. रक्षित पत्रावली ।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान ।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।

संयुक्त शासन सचिव

**सर्किट हाउस मैंनेजमेन्ट सिस्टम (CHMS) के माध्यम से सर्किट हाउसों में बुकिंग करना अब हुआ आसान**

*सर्किट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया :–*

1. सर्वप्रथम chms.rajasthan.gov.in पर जायें एवं अपने SSO ID से पोर्टल पर लॉगिन करें।

   या

   sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने SSO ID से लॉगिन करें एवं chms icon को सर्च कर क्लिक करें।

2 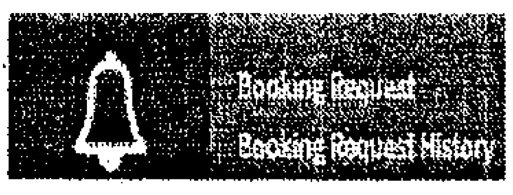

आईकन पर बुकिंग रिकवेस्ट के लिये क्लिक कर आप बुकिंग कर सकते है।

   और अपने स्तर पर किसी अन्य की बुकिंग भी उनकी SSO ID डालकर रिकवेस्ट कर सकते है।

3. बुकिंग फार्म में मुख्य रूप से ठहरने की अवधि और साथ में जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी, विभागीय आदेश इत्यादि की सूचनायें भरनी होती है।

4. फार्म को ऑनलाईन सबमिट करने के पश्चात् आपके पास एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से अभिस्वीकृति रसीद प्राप्त हो जायेगी तथा आपके द्वारा भेजी गयी सूचना सम्बन्धित सर्किट हाउस को भी ऑनलाईन प्राप्त हो जायेगी।

5 आप द्वारा भेजी गयी बुकिंग रिकवेस्ट को सम्बन्धित सर्किट हाउस द्वारा कन्फर्म की सूचना भी एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी।

6. इस प्रकार ऑनलाईन पोर्टल पर खाने की बुकिंग, कान्फ्रेस हॉल की बुकिंग, बिलिंग की जानकारी इत्यादि भी पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।

7. अधिक जानकारी हेतु chms.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध User Manual को देखे अथवा EPABX 5153222, 5153223, 5153660 हेल्पडेस्क आईपी 28073 पर सम्पर्क करें।